<u>न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर</u>

प्रकरण कमांक /2015 रिव्यू रिव्यू 3274/PBR/2015

दिनाँक 6-10-15 को श्री अजीत शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत/
6-10-15

6/10/15

1— प्रदीप चौबे पुत्र स्व0 श्री बालकिशन चौबे

2— सोनू चोबे पुत्र श्रवण कुमार चौबे निवासीगण दालबाजार लश्कर ग्वालियर

——— आवेदकगण

बनाम

1— म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

2— अनुविभागीय अधिकारी लश्कर क्षेत्र ग्वालियर

3— संयुक्त संचालक एवम अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर

4— तहसीलदार तहसील ग्वालियर

——— अनावेदकगण

पुनरावलोकन अन्तर्गत आदेश 47 निमय 1 सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनाक 8—9—2015 पारित द्वारा अध्यक्ष बोर्ड आफ रेवेन्यू जिसके द्वारा आवेदक की निगरानी प्रकरण कमांक 2615/2015 बापिस की गयी।

————

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3274—पीबीआर/2015 जिला ग्वा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	आवेदक की उपस्थित के लिये नोटिस भेजा गया परन्तु सही पता नहीं होने से नोटिस तामील नहीं हो सका । आवेदक अधिवक्ता द्वारा सही पता प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिव्यु प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2615—पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 08—09—2015 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	